अपील संख्या 50/2022
अनवान
रगाराम वगैरा बनाम तहसीलदार बागोडा

दिनांक 7–3–2022

उक्त अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 उपखण्ड अधिकारी बागोडा मुकाम केम्प बिजलिया मुकदमा संख्या 105/2021 मे पारित आदेश दिनांक 24–11–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अपील के साथ स्थगन प्रार्थनापत्र भी पेश किया गया है । उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जायें । अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अपीलांटगण की सहमति के बिना अपीलांटगण के खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि मे से गै. मु रास्ता दर्ज करने बाबत आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोकने अथवा विकल्प मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–11–2021 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का भी गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर भी मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार आदेश पारित किया गया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा द्वारा केम्प बिजलिया मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–11–2021 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांटगण को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें । पत्रावली फैसलसुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया।

7/3/22

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर